(vi) Participation by voluntary organisations in support of the National Leprosy Control Programme is being actively encourage under the S.E.T. gant-in-aid scheme by the Central Government.

(b) Surveys in the endemic and hyperendemic areas of the country are regularly done as part of the case detection under National Leprosy Control Programme, through Leprosy Control Units and Survey Education & Treatment centres. The results of these surveys for the basis of control activities.

(c) Leprosy patients are provided with free supply of drugs through 385 Leprosy Control Units, 6795 SET Centrs, 549 Urban Leprosy Centres and 466 Leprosy Hosupitals and Wards. In addition a multidrug therapy has been introduced in the country for treatment of infectious cases to convert them into non-infectious within a short time.

(d) A Working Group, set up to formulate an appropriate strategy for eradication of Leprosy, in the next 20 years, taking advantages of recent advances in the chemotherapy of leprosy and extended reach of Mass-Media has submitted its final recommendations to the Government which are under consideration.

सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए रेलवे अधिकारियों की गुंटकल में बैठक

9209. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए गुंटकल में 1 फरवरी, 1982 को रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी इस बैठक में भाग लिया था,

(ग) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई; और उपरोक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). जी हां

(ग) और (घ). इस बैठक में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा सदस्य यांत्रिक ने दक्षिण मध्य रेलवे के अधिक अधिकारियों के साथ दुर्घटनाओं की स्थिति की पुनरीक्षा की तथा तथ्य निर्धारण जांच संबंधी मामलों और दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों को अन्तिम रूप दिया गया। इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार हैं :----

(।) संरक्षा निरीक्षणों के दौरान पर्यवेक्षकों द्वारा जांच की जाने वाली मदों की सूची के फोल्डर तैयार करना ।

(।।) संरक्षा संगठन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध व्यक्तियों को तैयार करना ।

(।।।) रेलों के संरक्षा संबंधी कार्यों में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुशासन लागू करना ।

(4) संरक्षण कोटियों में तरजीही आधार पर रिक्त स्थान भरना ।

( ) स्टेशन वर्किंग आदेशों को अधतन बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए उनकी पुनरीक्षा करना ।

( ) कारखानों तथा मरम्मत डिपुओं में एस0 एल0 आर0 (दूसरा दर्जा-एंव-सामान तथा ब्रेक यान) की मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ।

इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए रेलों द्वारा यथावश्यक कार्रवाई की जा रही है ।